न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना

सत्र वाद सं0–1575 / 2025

बृज भुषण दीक्षित उर्फ भुषण पंडित बनाम बिहार राज्य

आदेश

बाद में

19.02.2026 पीरबहोर थाना कांड संख्या 738 / 2024 अंतर्गत धारा 103(1), 61(2) सपठित धारा 3(5) भारतीय न्याय संहिता से उत्पन्न इस सत्र वाद में आवेदक अभियुक्त बृज भुषण दीक्षित उर्फ भुषण पंडित, पिता–दीवान चन्द्र दीक्षित के तरफ से दाखिल जमानत आवेदन जिसकी प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को प्रदान किया गया है, पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुनने के उपरांत अभिलेख आज आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्राथमिकी अनुसार अभियोजन का संक्षिप्त मामला है कि सूचक दीपक कुमार पिछले दस वर्षों से व्यापारिक उद्देश्य से पटना में रह रहा था। उसका मामा अवधेश अग्रवाल (मृतक) उत्तर प्रदेश के आगरा में रहता थे, लेकिन वह व्यापारिक उद्देश्य से कभी–कभार पटना आते थे। अभियोजन का आगे मामला है कि पिछले एक सप्ताह से अवधेश अग्रवाल (मृतक) पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र में इमामबाड़ा, चूड़ीगली के पास एक किराए के कमरे में रह रहे थे। दिनांक 27.10.2024 को रत्रि लगभग 11.00 बजे मृतक अवधेश अग्रवाल अपनी दुकान, ए0आर0 एंटरप्राइजेज, सैलून गली, बाकरगंज पटना से भोजन करने के लिए अपने उक्त किराये के कमरे में गए। अभियोज आगे मामला है कि प्रन्द्रह मिनट बाद, सूचना देने वाले को पता चला कि अवधेश अग्रवाल (मृतक) को अज्ञात व्यक्तियों ने उनके घर में प्रवेश करते समय गोली मार दी, तब सूचक सियाराम शर्मा के साथ मृतक के किराए के कमरे में गया और देखा कि अवधेश अग्रवाल की दाहिनी बगल से खून बह रहा था। वे उन्हें इलाज के लिए पारस अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक की ओर से पूर्व में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष जमानत आवेदन खारिज होने के उपरांत इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में कोई अन्य नियमित जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक निर्दोष है उसने कोई आपराध नहीं किया है उसे इस मामले में संदेह के आधार पर झुठा फंसाया गया है। पुलिस ने बिना किसी साक्ष्य के आवेदक को दुर्भावनापूर्ण तरीके से इस मामले में फंसाया है। आवेदक के सचेत कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। पुलिस के समक्ष दिए गए दोष स्वीकारोक्ति बयान के अलावा आवेदक के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। इस मामले में आवेदक के विरूद्ध आरोप का

लगातार

19.02.2026 गठन हो जाने के कारण उसके फरार होने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक दिनांक 30.11.2024 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उनका आगे कथन है कि इस मामले के सह–अभियुक्त नीरज गौतम जो घटना के समय आवेदक के साथ था, का जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध वाद संख्या–49195 / 2025 में पारित आदेश दिनांक 26.11.2025 से प्रदान किया गया है तथा आवेदक का भी मामला समान धरातल पर है। आवेदक जमानत के लिए अधिरोपित की जाने वाली सभी शर्तों को पालन करने के लिए तैयार है। अतः निवेदन है आवेदक को जमानत पर मुक्त किया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत का विरोध करते हुए कहा गया है कि काड दैनिकी की कंडिका 131 अभियुक्तों का दोष स्वीकारोक्ति बयान है, जिसमें आवेदक ने कहा है कि वह सह–अभियुक्त नीरज गौतम के साथ मृतक की दुकान और उसके किराए के मकान में गया और वहां रैकी किया और घटना के दिन रात्रि लगीग 11.10 बजे जैसे ही मृतक अवधेश अग्रवाल अपने किराए के मकान में सीढ़िया चढ़ने लगे तभी आवेदक ने उन्हें गोली मार दी। इसके बाद आवेदक सह–अभियुक्त नीरज गौतम के साथ ऑटो से पटना जंक्शन की ओर भाग गया और ऑटो के पीछे कट्टा और कारतूस रख दिए। विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा आगे कथन किया गया कि आवेदक पर मृतक को गोली मारने का प्रत्यक्ष आरोप है। अतः निवेदन है कि आवेदक का जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया जिससे प्रतीत होता है कि कांड दैनिकी की कंडिका 131 के अनुसार इस मामले में उसे सह–अभियुक्त नीरज गौतम के साथ गिरफ्तार किया गया है तथा दोनों का संस्वीकृति बयान लिया गया है, जिसमें आवेदक ने अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। आवेदक पर मृतक अवधेश अग्रवाल को गोली मारने का प्रत्यक्ष एवं विशिष्ट आरोप है। सह–अभियुक्त नीरज गौतम के संस्वीकृति बयान के अनुसार, सह–अभियुक्त निखिल गोयल, अवधेश अग्रवाल (मृतक) की हत्या करवाना चाहता था, क्योंकि दोनों के बीच व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता थी और सह–अभियुक्त जितेन्द्र सिंह जो आवेदक का ड्राइवर था, के माध्यम से आवेदक एवं सह–अभियुक्त नीरज गौतम को दस लाख रुपए नकद दिए और बाकी की दस लाख रुपए की राशि अवधेश अग्रवाल की हत्या के बाद उन्हें दी

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना

सत्र वाद सं0–1575 / 2025

बृज भुषण दीक्षित उर्फ भुषण पंडित बनाम बिहार राज्य

लगातार

19.02.2026 जाती। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि इस मामले में सह–अभियुक्त नीरज गौतम जो घटना के समय आवेदक के साथ था, का जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध वाद संख्या–49195 / 2025 में पारित आदेश दिनांक 26. 11.2025 से प्रदान किया गया है, के मामले से आवेदक का मामला भिन्न है, क्योंकि आवेदक पर मृतक अवधेश अग्रवाल को गोली मारने का प्रत्यक्ष आरोप है। वर्तमान में यह मामला अभियोजन साक्ष्य हेतु चल रहा है तथा अभी अनुसंधानक का साक्ष्य नहीं हुआ है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है। अभिलेख के इस प्रक्रम पर आवेदक को जमानत का लाभ देना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त आवेदक अभियुक्त के साथ के तरफ से दाखिल जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

(संगम सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
पटना

निर्णय / आदेश की तिथि	19.02.2026
निर्णय / आदेश आरक्षित करने की तिथि	18.02.2026
अपलोडिंग तिथि	24.02.2026
अपलोड किसके द्वारा किया गया	आशुलिपिक